रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 1973/भाद्र 23, 1895
No. 213] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 1973/BHADRA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September 1973

S.O. 485(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following Order, namely:—

That a person referred to in clause (c) of sub-section (4) of section 39 of the said Act shall be exempted from the operation of the time limit specified in that clause relating to the making of an application for the grant of a certificate referred to in sub-section (1) of the said section 39, if he makes the said application on or before the 31st day of December, 1974.

[No. F. 143/12/73-GC.II(1).]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 73

का० आ० 485 (अ) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

कि, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निदिष्ट व्यक्ति को उक्त धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की मंजरी के लिए आवेदन कोई करने से सम्बन्धउस खण्ड म निर्दिष्टी समय की परिसीमा के प्रवर्तन छूट से दी जाएगी यदि वह उक्त आवेदन 31 दिसम्बर, 1974 को या उसके पूर्व करें ।

[सं० फा० 143/12/73-जी० सी० II (i)]

S.O. 486(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. S.O. 220, dated the 8th January, 1971, namely:—

In the said notification, for the words "five years", the words "seven years" shall be substituted.

[No. F. 143/12/73-GC.II(ii).]

का० आ० सं० 486 (अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 220, तारीख 8 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० 143/12/73-जी० सी० II (ii)]

S.O. 487(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 127(E), dated the 8th February, 1972, namely:—

In the said notification, for the conditions, following conditions shall be substituted, namely:—

"(i) such child assists either his father, or any other certified goldsmith who is not being assisted by any child other than his own, to make, manufacture, repair or process any article or ornament:

Provided that where the child of a certified goldsmith assists any other certified goldsmith, such child shall assist such certified goldsmith for a period not less than six months from the date of his commencement to assist such certified goldsmith; and

(ii) the father of such child and the other certified goldsmith get the name of such child endorsed by the Gold Control Officer having jurisdiction on their respective certificates.".

[No. F.143/12/73-GC.II(iii).]

M. A. RANGASWAMY, Jt. Secy.

का० आ० 487 (अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 127 (ई 7, तारीख 8 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात् —

"(i) ऐसी संतान कोई वस्तु या आभषण बनाने, विनिर्माण करने, मरम्मत करने या प्रसंस्करण करने में या तो अपने पिता या ऐसे अन्य प्रमाणित स्वर्णकार को सहायता करे जिसे अपनी संतान से भिन्न किसी संतान द्वारा सहायता नहीं दी जा रही है :

परन्तु जहां प्रमाणित स्वर्णकार की संतान किसी अन्य प्रमाणित स्वर्णकार की सहायता करती है वहां वह संतान ऐसे प्रमाणित स्वर्णकार की सहायता, ऐसे प्रमाणित स्वर्णकार को अपनी सहायता प्रारम्भ करने की तारीख से छः मास से अन्यून की अवधि के लिए करेगी; और

(ii) ऐसी संतान का पिता और अन्य प्रमाणित स्वर्णकार ऐसी संतान का नाम अधिकारिता रखने वाले स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित करा ले।

[सं० फा० 143/12/73—जी० सी० II (iii)]

एम० ए० रंगास्वामी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973